



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या:ए-49/11/01/2019-रा.भा.अधिसूचित कार्यालय(इकाई)

दिनांक: मार्च, 2025

सेवा में,

उप निदेशक (प्रभारी),
उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
प्रथम तल, सिटी पॉइंट, कोडियलबेल,
मंगलुरु (कर्नाटक)-575003

विषय: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,


राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलुरु (कर्नाटक) के 80% से अधिक कर्मिकों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,
Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 18-03-2025
(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


18.3.2025
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या:ए-49/11/01/2019-रा.भा.अधिसूचित कार्यालय(इकाई)

दिनांक: 18 मार्च, 2025

सेवा में,

उप निदेशक (प्रभारी),
उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर मार्ग,
एरन्हिपालम, कोषिकोड (केरल)-673006

विषय: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोषिकोड (केरल) के 80% से अधिक कर्मिकों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

Digitally signed by
Shyam Kumar

Date: 18-03-2025

(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Shyam Kumar 18.3.2025

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या:ए-49/11/01/2019-रा.भा.अधिसूचित कार्यालय(इकाई)

दिनांक:18 मार्च, 2025

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल,
लेन नं. 2, सिडको औद्योगिक क्षेत्र,
बडी ब्राह्मणा (जम्मू)-181133

विषय: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, बडी ब्राह्मणा (जम्मू) के 80% से अधिक कर्मिकों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 22.07.2024 की छायाप्रति संलग्न है।


संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,
Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 18-03-2025
(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-॥ भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


18.3.2025
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

“Whether the proceedings of domestic enquiry in respect of Shri Sudhir Mohan Naik, P. No. 05567 by the management of National Aluminium Co. Ltd., Angul are vitiated and not as per principle of natural justice? If yes, what relief Shri Naik is entitled to? What other directions, if any, are necessary in the matter?”

2. In the reference order, the Under Secretary to Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi commanded the parties raising the dispute to file statement of claim, complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with this Tribunal within 15 days of receipt of the reference order and to forward a copy of such statement of claim to each one of the opposite parties involved in the dispute.
3. Despite directions so given, no statement of claim is received from the 2nd party-Union.
4. On receipt of the above reference, notice was sent to the 2nd Party-Union on 05.04.2019 and on dated 01.02.2023 for appearance and for filing of statement of claim. Neither the postal article sent to the 2nd Party-Union, referred to above, was received back nor was it observed by the Tribunal that postal services remained unserved in the period, referred to above. Therefore, every presumption lies in favour of the fact that the above notices were served upon the 2nd Party-Union. Despite service of the notice, the 2nd Party-Union opted to abstain away from the proceedings. No claim statement was filed on its behalf. Thus, it is clear that the 2nd Party-Union is not interested in adjudication of the reference on merits.
5. Since the 2nd Party-Union has neither filed statement of claim nor has led any evidence so as to prove its cause against the Management, it is presumed that there is no claim of workman against the Management.
6. In view of such, no claim Order is passed by this Tribunal.
7. Let this order be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, for publication.

SRI DINESH KUMAR SINGH, Presiding Officer

(हिन्दी अनुभाग)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2024

का.आ. 1474.—केंद्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है:

1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलुरु (कर्नाटक)
2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोपिकोड (केरल)
3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, बार्ही ब्राह्मणा, जम्मू

[स.ई-11016/1/2022-रा.भा.नी.]

नागेश कुमार सिंह, उपमहानिदेशक

(Hindi Section)

New Delhi, the 22nd July, 2024

S.O. 1474.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987) the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of the Ministry of Labour & Employment, more than 80% Staff whereof have acquired working knowledge of Hindi:-

1. Employees' State Insurance Corporation, Sub-Regional Office, Mangaluru (Karnataka)
2. Employees' State Insurance Corporation Sub-Regional Office, Kozhikode (Kerala)
3. Employees' State Insurance Corporation Hospital, Bari Brahmana, Jammu

[No. E-11016/1/2022-RBN]

NAGESH KUMAR SINGH, Dy. Director General